पत्रांक 15/पी 5-05/2010
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2018

विषयः राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रथम चरण के भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू0 21,77,79,000/- (इक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख उन्यासी हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रथम चरण के भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू0 21,77,79,000/- (इक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख उन्यासी हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने प्रदान की गई है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 14 दिनांक 09.09.2010 द्वारा चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के भवन, एम0डी0पी0 ब्लॉक, ओडिटोरियम, छात्रावास भवन, आवासीय परिसर, सामान्य गतिविधि ब्लॉक, उर्जा संसाधन आदि के निर्माण हेतु कुल रू0 74,16,40,671/- (चौहत्तर करोड़ सोलह लाख चालीस हजार छः सौ एकहत्तर) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। तदोपरांत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2036 दिनांक 07.10.2016 द्वारा संस्थान के प्रथम चरण के उपरोक्त भवन निर्माण योजना हेतु कुल रू0 97,11,29,000/- (संतानबे करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. संस्थान के प्रतिवेदनानुसार इस योजना हेतु अब तक रू0 75,33,50,000/- (पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार) मात्र की स्वीकृति की जा चुकी है तथा रू0 21,77,79,000/- (इक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख उन्यासी हजार) मात्र अवशेष राशि उपलब्ध कराया जाना है।

4. द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से इस संस्थान के लिए कुल रू0 55,00,00,000/- (पचपन करोड़) मात्र का बजटीय उपबंध उपलब्ध कराया गया है, जिसमे से रू0 23,00,00,000/- (तेइस करोड़) मात्र परिसम्पतियों के निर्माण मद में उपबंधित है। जिसके विरूद्ध इस चालू योजना के लिए रू0 21,77,79,000/- (इक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख उन्यासी हजार) मात्र स्वीकृत किया जा रहा है।

5. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष - 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष 102- विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या 21, उप शीर्ष - 0118 - राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान, विपत्र कोड 21-2202031020118, विषयशीर्ष 0118. 31. 05- सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।

6. राशि की निकासी, अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन से निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत की गयी राशि पर उद्भूत सूद की राशि भी योजना के क्रियान्वयन में उपयोग की जाएगी एवं स्वीकृत राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएग।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 एवं संचिका संख्या 15/पी 5–05/2010 में दिनांक 06.03.2018 को पृष्ठ 53/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–05/2010 181 पटना, दिनाक 14/3/2018

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (रवीना एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना/अपर सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव